



एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

एनपीए/एसएमए मानदंडों पर उपभोक्ता शिक्षा

परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड

बैंक नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार ऋण खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए)/विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करता है

नॉन-परफॉर्मिंग एसेट की परिभाषा

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहां;

1. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है,
2. ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) रहता है,
3. खरीदे गए और छूट वाले बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
4. छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसमों के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त अतिदेय रहती है,
5. लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त अतिदेय रहती है,
6. प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है

खराब-

कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट (CC/OD) खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाएगा यदि...

1. सीसी/ओडी खाते में बकाया शेष राशि 90 दिनों तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक लगातार बनी रहती है, या
2. सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं होता है, या सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं।

सीसी/ओडी सीमाओं का नवीकरण न करने/स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करने के कारण एनपीए वर्गीकरण

बैंक सीसी/ओडी खाते को एनपीए के रूप में भी वर्गीकृत करता है यदि नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर सीमा का नवीनीकरण नहीं किया जाता है।

आहरण शक्ति का निर्धारण करने के लिए बैंक द्वारा भरोसा किए गए स्टॉक स्टेटमेंट तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तीन महीने से अधिक पुराने स्टॉक स्टेटमेंट से गणना की गई बिजली के आधार पर खाते में बकाया को अनियमित माना जाएगा और इस तरह के खाते को अनियमितता की तारीख से 90 दिनों के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड खाते

क्रेडिट कार्ड खाते को एनपीए के रूप में माना जाएगा यदि विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि, विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान नहीं की जाती है।

मीयादी जमाराशियों, एनएससी, केवीपी/आईवीपी के प्रति अग्रिम

सावधि जमाराशियों के प्रति अग्रिम, सरेंडर के लिए पात्र एनएससी, आईवीपी, केवीपी और जीवन पॉलिसियों को एनपीए के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि खातों में निर्धारित मार्जिन बनाए रखा जाता है। हालांकि, सोने के गहने, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों के खिलाफ अग्रिम इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

परियोजना ऋण

डीसीसीओ को ऋण की मंजूरी के दौरान बैंक द्वारा मूल्यांकन नोट में प्रलेखित किया जाएगा। बैंक विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के संशोधन के माध्यम से परियोजना ऋणों की पुनर्संरचना कर सकते हैं और "मानक" परिसंपत्ति वर्गीकरण को बनाए रख सकते हैं।

किसी परियोजना ऋण को वसूली के रिकार्ड (90 दिनों से अतिदेय) के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा अथवा यदि परियोजना ने निर्धारित डीसीसीओ/आस्थगित डीसीसीओ द्वारा प्रचालन शुरू नहीं किया है अथवा डीसीसीओ को विनियामक अनुमत अवधियों से आगे बढ़ाया जाता है अथवा डीसीसीओ विस्तार विनियामक शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता है।

ओवरड्यू

किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर नहीं किया जाता है।

विशेष उल्लेख खाता (SMA)

यदि बैंक को देय और देय राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा नियत तारीख को नहीं किया जाता है तो खाते/सुविधा को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अतिदेय राशि के आधार पर, बैंक एसएमए की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को सूचित करता है

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		चक्रवर्ती सुविधाओं जैसे नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण के आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से ओवरड्यू	एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण के आधार – बकाया शेष स्वीकृत सीमा अथवा आहरण शक्ति, इनमें से जो भी कम हो, से निम्नलिखित की अवधि के लिए लगातार अधिक रहता है:
एसएमए-0	30 दिनों तक		
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और तक 60 दिन
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और तक 90 दिन

बैंक उधारकर्ता खातों को देय तिथि के लिए दिन के अंत प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित करता है, चाहे ऐसी प्रक्रिया चलाने का समय कुछ भी हो। इसी तरह, उधारकर्ता खातों का एसएमए के साथ-साथ एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया

चलाई जाती है। दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तारीख उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

SMA/NPA के लिए उदाहरण

अ. टर्म लोन

यदि ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और 31 मार्च, 2021 के दिन के अंत से पहले बैंक द्वारा पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो खाते को देय तिथि के संदर्भ में अतिदेय माना जाएगा और इसे SMA 0 के रूप में टैग किया जाएगा। यदि खाता अतिदेय बना रहता है और सभी बकाया राशि 30 अप्रैल, 2021 तक नियमित नहीं की जाती है, तो खाते को 30 अप्रैल, 2021 तक एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाता है, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो खाते को 30 मई, 2021 तक SMA-2 के रूप में टैग किया जाता है, और यदि आगे अतिदेय रहता है, तो खातों को 29 जून, 2021 को दिन के अंत में NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आ. CC/OD/DLOD खाते:

(१) किसी सीसी या ओडी या डीएलओडी खाते में, यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लगातार 31 मार्च, 2021 से अधिक रहती है, तो खाते को 30 अप्रैल, 2021 तक एसएमए 1 के रूप में टैग किया जाता है, यानी लगातार अधिक समय तक 30 दिन पूरे होने पर। यदि खाता लगातार अधिक मात्रा में बना रहता है, तो खाते को 2 मई, 30 को SMA-2021 के रूप में टैग किया जाता है। यदि खाता अधिक मात्रा में रहता है, तो खाते को 29 जून, 2021 के दिन के अंत में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(२) उपर्युक्त (i) के अलावा, एक सीसी या ओडी या डीएलओडी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण शक्ति से कम है, लेकिन 90 दिनों के लिए लगातार कोई क्रेडिट नहीं है या सीसी / ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण शक्ति से कम है, लेकिन क्रेडिट पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, यदि 90 दिनों के लिए लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, जैसे कि 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक या क्रेडिट 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक ब्याज डेबिट को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो खाते को दिन के अंत में 31 मार्च, 2021 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पुनर्गठन के कारण एनपीए वर्गीकरण

पुनर्संरचना में अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल हो सकता है, जिसमें आम तौर पर, अन्य बातों के साथ-साथ, भुगतान अवधि/देय राशि/किस्तों की राशि/ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होगा; ऋण सुविधाओं

का रोलओवर; चूक के इलाज में सहायता के लिए चूक वाले खाते के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा की मंजूरी / अतिरिक्त धनराशि जारी करना/मौजूदा क्रेडिट सीमाओं को बढ़ाना; समझौता समझौता जिसमें निपटान राशि के भुगतान की समय सीमा तीन माह से अधिक हो। उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण सुविधा के किसी भी पुनर्गठन के परिणामस्वरूप खाते का एनपीए के रूप में वर्गीकरण होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

उधारकर्ता स्तर पर एसएमए/एनपीए वर्गीकरण

एसएमए/एनपीए रिपोर्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता स्तर है और इस प्रकार, उधारकर्ता के किसी एक खाते में अतिदेय के परिणामस्वरूप उधारकर्ता को एसएमए या एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन

बैंक एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड करेगा, जब ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख हासिल न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन विशिष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आरबीआई के मास्टर को देखें परिपत्र - आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड – स्पष्टीकरण दिनांक 12 नवंबर, 2021। उपरोक्त परिसंपत्ति/एसएमए वर्गीकरण मानदंड समय-समय पर जारी नियामक अनुदेशों के अनुसार परिवर्तनों के अधीन हैं।